

6-7-2015

पत्रावली आग राजकी लोक अदालत केवल
 सेवा केन्द्र गाण्ड पांगगा पर उद्वृत
 हुनी वारी भर्तुन लला व देरोकर संरमा
 तद्वलीलदल इतिपया इजपथेल/ दोनो पको
 को युना जया/ पत्रावली लव उरत वल
 उपलब्ध दातावेगत का सेवलो का सिध
 जया/ पत्रावली पर उपलब्ध आवेदन गौर
 खतेदारी से खतेदारी सिधे जाने का है
 जिल पर रिपोर्ट भक्ति है कि आवंटी
 से आवंटी आग की पालना सी है
 उरती द्वारा सपता रात्री राजकोष क
 जया करवा सी है/ वारी को खतेदारी
 सिधे जाने की सिधारिण की गई है/
 तद्वलीलदल इतिपया ने भी फिलान कौवपन
 के अरुणल शाक्ति रजता रमल से
 हाल रनगा 616 रकबा 1-45 है
 बनना भक्ति सिधे है

अनुप्रा

अतः बड वारी सीमल
 सिधा जलक वारी को आगजी रनक
 616 रकबा 1-45 ईमर वारे गाद
 पापगा तद्वलील इतिपया का खतेदार
 फारतकल घोषित सिधे जलना है
 तद्वलीलदल इतिपया को इली अनुकप
 राजत्व रेकार्ड को कुकत रतेने
 कोरेण सिधे जलने ही फर्चा डिजे
 जलनी है/ पत्रावली पौतरथुना है का
 रमल से रन है तथा दफतर दाखिल
 है

उपखण्ड अधिकारी
 सविधान, जिला-दोंक

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पायगा

उनवान

अर्जुनलाल पुत्र देवलाल जाति बैरवा निवासी लूतीफगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादी

बनाम

- 1.राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
- 2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 9 वर्ष 2013

वादी की ओर से श्री अर्जुनलाल प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 616 रकबा 1.45 हैक्टर वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को 'दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिक्केन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 07 सन् 2015 को जारी, की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक